21

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा, जिला–रीवा (म0प्र0) R 5217-PI/15

Rs. 20/-

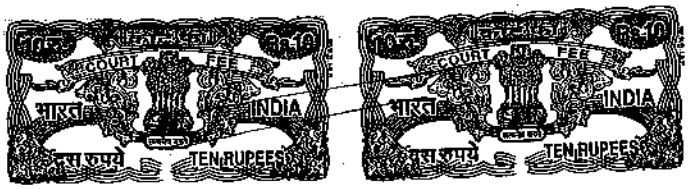

1. शोभा सिंह तनय श्री बंशपति सिंह उम्र लगभग 85 वर्ष पेशा–कृषिकार्य,
2. प्रभाकर सिंह,
3. धर्मराज सिंह दोनों के पिता श्री शोभा सिंह दोनों की उम्र क्रमशः लगभग 48, 35 वर्ष दोनों का पेशा– कृषिकार्य सभी निवासी ग्राम बिझौली गहरवरान, तहसील–हनुमना, जिला–रीवा(म0प्र0)

.... पुनरीक्षणकर्तागण

श्री अखिलेश कु. पाण्डेय के द्वारा आज दिनांक 10-12-15 प्रस्तुत किया गया।
रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

बनाम

1. रामबहोर तनय राममनोहर नाई निवासी ग्राम–बिझौली गहरवरान, तहसील–हनुमना, जिला–रीवा(म0प्र0)
2. म0प्र0 शासन द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल हनुमना, जिला–रीवा(म0प्र0)

...............गैर पुनरीक्षणकर्तागण

पुनरीक्षण आवेदन पत्र विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल हनुमना, तहसील–हनुमना, जिला–रीवा (म0प्र0) द्वारा प्रकरण कमांक–97 अ/12/14–15 में पारित आदेश दिनांक 30/06/15,

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता सन् 1959 इस्वी,

मान्यवर,

पुनरीक्षण याचिका के आधार निम्नलिखित है:–

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 5217/दो/15 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2.3.16	प्रकरण में आवेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने गए तथा नस्ती का परिशीलन किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदकगण उस भूमि के सरहदी कृषक है जिसका सीमांकन अनावेदक पक्ष ने कराया है, किन्तु उन्हें न तो सूचनापत्र तामील हुआ है और न ही उनके पंचनामे पर हस्ताक्षर हैं, और सीमांकन कर दिया गया है। आवेदकपक्ष का कहना है कि मौके पर उनकी अनुपस्थिति में उनकी भूमि पर अनावेदकपक्ष की भूमि सीमांकन में नाप दी गई और उनकी आपत्ती का भी सही से RI ने निराकरण नहीं किया। आक्षेपित में आपत्ती के संबंध में संक्षिप्त लेख है, किन्तु आपत्ती क्या है और इसके किन बिन्दुओं का किन आधारो पर निराकरण हुआ, इस संबंध में आक्षेपित आदेश मूक है।	

[कृ. प. उ.

R 5217 -II/15 शीघ्र

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों, आदि के हस्ताक्षर
	सरहदी कृषकों को धारा 129 MPLRC के नियमों के अन्तर्गत सूचना एवं अग्रक्रय का अवसर दिया जाना अनिवार्य है। इसके प्रत्यक्ष अभाव, तथा आपत्ति के मूक निराकरण के कारण आक्षेपित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है, अतः निरस्त किया जाता है। आदेश पारित। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण समाप्त दा. द. हो। सदस्य	